Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बून्दी में विधुत विभाग के कनिष्ठ अभियंता व लाईनमैन को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *05 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी बून्दी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामावतार, कनिष्ठ अभियन्ता, जेवीवीएनएल, डाबी, जिला बून्दी एवं ज्ञानस्वरूप, लाईनमैन, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जेवीवीएनएल, डाबी, जिला बून्दी को परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बून्दी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके गांव में आवासीय मकान के विधुत कनेक्शन की एवज में ज्ञानस्वरूप, लाईनमैन कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जेवीवीएनएल, डाबी, जिला बून्दी द्वारा रामावतार, कनिष्ठ अभियन्ता, जेवीवीएनएल, डाबी, जिला बून्दी के लिये **15 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बून्दी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री ताराचन्द** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये ज्ञानस्वरूप पुत्र श्री गणेश राम, निवासी रामदेवजी मंदिर के पास, नयाखेडा, पुलिस थाना कुन्हाडी जिला कोटा हाल लाईनमैन, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जेवीवीएनएल, डाबी, जिला बून्दी को परिवादी से **5 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में रामावतार, पुत्र श्री रामनिवास, निवासी मीणा बस्ती, बम्बुलिया, तह. पिपलदा कला, जिला कोटा हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जेवीवीएनएल, डाबी, जिला बून्दी को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।